

तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

सरकारी जरिये पटवारी हल्का शुभमपूर बनाम

विप्रार्थी श्री इ.म.रु. इ.म.रु. इ.म.रु. इ.म.रु.

वत्स मु.दी.न.

जाति भु. निवासी शुभमपूर

राजस्व मुकदमा नं. 244/24

/20 निर्णय दिनांक

2/10/24

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का शुभमपूर की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

जिसके अनुसार अप्रार्थी ने सरकारी भूमि मौजा शुभमपूर के ख. नं. 668/126 में रकबा

3-00 बीघा किस्म क.रु. पर संवत् 281 खरीफ में कास्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है।

अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्रार्थी से तामिल हो

चुका हैं अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्रार्थी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस

तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्रार्थी को

विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त

सरकार किया जाकर अप्रार्थी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिकलगान रूपये 0.15

का 50 गुणा रूपये 8 अक्षरे शुभमपूर आरोपित किये जाते हैं।

भू.अ. निरीक्षक हल्का शुभमपूर

को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत

हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व

लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 2/10/24 को

सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार चौहटन



तहसीलदार चौहटन